न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 26/2022

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

सीताराम पुत्र नैनूराम जाति नायक निवासी चान्दारूण तहसील डेगाना जिला नागौर।

1 देवीलाल पुत्र रामनिवास नायक 2 तेजाराम पुत्र रामनिवास नायक 3 शारदा पत्नी रामनिवास नायक 4 धर्माराम पुत्र रामनिवास नायक नाबालिक जरिये कुदरती वलीया माता शारदा रेस्पोडेंट संख्या 3 5 जिमना पुत्री नैनूराम नायक 6 शारदा पुत्री नैनूराम नायक 7 हीरा देवी पुत्री नैनूराम नायक 8 कमला पत्नी नैनूराम नायक 9 हरदीन पुत्र मेहराम नायक 10 पुनाराम पुत्र शकंरराम नायक 11 जगदीश पुत्र शंकरलाल नायक 12 खेमाराम पुत्र शंकरराम नायक 13 रामेश्वरी पत्नी शंकरराम नायक 14 सीतादेवी पत्नी धन्नाराम नायक 15 कालूराम पुत्र धन्नाराम नायक 16 मुकेश पुत्र धन्नाराम नायक 17 अनिल पुत्र धन्नाराम नायक 18 ग्यारसी पत्नी घासीराम नायक 19 पप्पू पुत्र घासीराम नायक 20 बीरमाराम पुत्र घासीराम नायक 21 बाउडी पुत्री घासीराम नायक (फौत) के कायम मुकाम 21/1 वेदप्रकाश पुन नैनाराम जाति नायक 21/2 रवि पुत्र नेनाराम नायक 21/3 मुकेश पुत्र नैनाराम नायक 21/4 संजू पुत्री नैनाराम नायक 24/5 शोभा पुत्री नैनाराम नायक निवासीगण देवातला तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 22 कमला पूत्री घासीराम नायक 23 चूका पुत्री घासीराम नायक (फौत) के कायम मुकाम 23/1 दिलीप पुत्र भंवरलाल नायक 23/2 सुनिता पुत्री भंवरलाल जाति नायक निवासीगण मिदियान तहसील परबतसर जिला नागौर 24 मीरा पुत्री घासीराम नायक 25 सोनी पुत्री मेहराम नायक 26 राजु पुत्र हजारीराम नायक 27 नाथी पुत्री हजारीराम नायक 28 रूपा देवी पुत्री हजारीराम नायक 29 चन्दा पुत्री हजारीराम नायक 30 जगुडी पत्नी हजारीराम नायक निवासीगण चान्दारूण तहसील डेगाना जिला नागौर 31 तहसीलदार डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर 32 शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा डेगाना तहसील डेगाना 33 सवाई पुत्र भोमाराम नायक (फौत) के कायम मुकाम 33/1 सुरेश पुत्र सवाई जाति नायक निवासी चांदारूण तहसील डेगाला 33/2 परमा पुत्री सवाई पत्नी करमाराम जाति नायक निवासी पुन्दलू तहसील मेडता 33/3 बाबूडी पुत्री सवाई पत्नी बाबूलाल जाति नायक निवासी बोरून्दा तहसील मेडता 33/4 सीता पुत्री सवाई पत्नी मंगाराम जाति नायक निवासी जारोडा तहसील मेडता 34 शिवलाल पुत्र भोमाराम 35 बद्री पुत्र भोमाराम नायक (फौत) के कायम मुकाम 35/1 विष्णु पुत्र बद्री जाति नायक 35/2 महेन्द्र पुत्र बद्री जाति नायक 35/3 लिछमण पुत्र बद्री जाति नायक निवासीगण चांदारूण तहसील डेगाना 35/4 दुर्गा पुत्री बद्री पत्नी रूगाराम जाति नायक 35/5 साबूडी पुत्री बद्री पत्नी बालाराम जाति नायक निवासीगण शीडला तहसील मेडता 36 सायरी पत्नी कालुराम नायक 37 प्रभुराम पुत्र आशाराम नायक 38 गीता पुत्री आशाराम नायक 39 बिरजू पुत्री आशाराम नायक 40 निबूं पुत्री आशाराम नायक 41 बाया पुत्री आशाराम नायक 42 हरीराम पुत्र मांगुराम नायक 43 मदन लाल पुत्र मांगुराम नायक 44 मंगला पुत्र मांगुराम नायक 45 इग्यारसी पत्नी चौथाराम नायक 46 श्रवण राम पुत्र चौथाराम नायक 47 सोहनलाल पुत्र चौथाराम नायक 48 रिछपाल पुत्र चौथाराम नायक 49 श्याम लाल पुत्र भूराराम नायक 50 सोहनी पत्नी भूराराम नायक निवासीगण चान्दारूण तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9, 14, 15, 17, 18, 20, 26 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 31 की ओर से।

27/9/24

अपर कलक्टर, नागौर

निर्णय

दिनांक 27.09.2024

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार डेगाना मौजा चांदारूण के नामान्तरकरण सं. 36 निर्णय दिनांक 13.04.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.07.2022 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9, 14, 15, 17, 18, 20, 26 की ओर श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 31 की ओर से ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 10 से 13, 16, 19, 21 से 25 तथा 27 से 50 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा चांदारूण का नामान्तरकण संख्या 36 की फोटोप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना के प्रकरण संख्या 31/12 के निर्णय दिनांक 17.11.2014 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, मौजा चांदारूण की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 76 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट अधि. न्यायालय के स्वीकृति आदेश के पश्चात इतने समय तक इसी विश्वास में था कि सहायक कलक्टर, डेगाना के निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत होकर उसके पिता का नाम दर्ज हो चुका है इसलिए उसने राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं की, किन्तु अभी हाल ही में अपीलांट के पिता नैनूराम का देहान्त अप्रेल 2022 में होने के पश्चात जब अपीलांट की फौतगी नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु हल्का पटवारी से मिला तो उन्होनें बताया कि विवादित खसरा नम्बर 177 में आपके पिता का नाम दर्ज ही नहीं है। तब अपीलांट ने नामान्तरकरण जैर अपील की नकल दिनांक 09.06.2022 के प्राप्त की। तब प्रथम बार अपीलांट को नामान्तरकरण जैर अपील की सम्पूर्ण जानकरी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को नामान्तरकरण जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट को हुई प्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद शुमार की जाना उचित व न्याय संगत है। अपीलान्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)– नामान्तरकरण आदेश जैर अपील विधि विरूद्व तथा साक्ष्य सबूतों के विपरीत मनमाने ढंग से कानूनी प्रावधानों के विपरीत मनमाने ढंग से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने सहायक कलक्टर डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का भली अवलोकन किये बगैर अपनी मनमर्जी से जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–नामान्तरकरण संख्या 36 सहायक कलक्टर डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2014 की पालना में स्वीकृत किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से स्पष्ट रूप से विवादित खसरा नम्बर 177 में से केवल मात्र वादी हरदीन का नाम हटाया जाना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय न अपीलांट के पिता व अन्य खातेदार का नाम अपनी मनमर्जी से हटाकर नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया। जबकि अधि. न्यायालय को सहायक कलक्टर डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की हुबहू पालना करनी चाहिए थी, किन्तु अधि. न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से जो नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है वह पूर्णतया अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से स्वीकृत किया गया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री में दिये गये तथ्यों के विपरीत जाकर अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है जिसको किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

{3} वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9, 14, 15, 17, 18, 20, 26 ने वकील अपीलांट की बहस का समर्थन किया है।

27/9/24
अपर कलक्टर, नागौर

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार डेगाना मौजा चांदारूण के नामान्तरकरण सं. 36 निर्णय दिनांक 13.04.2015 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डेगाना के निर्णय दिनांक 17.11.14 में दिये गये निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रसंज्ञान में आते ही तहसीलदार डेगाना का यह दायित्व था कि न्यायालय के आदेशानुसार उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) डेगाना मौजा चांदारूण के नामान्तरकरण सं. 36 निर्णय दिनांक 13.04.15 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डेगाना के निर्णय दिनांक 17.11.14 में पारित डिक्री की पूर्णतः पालना करते हुए, इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, विधिअनुसार जांच कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/9/14

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर